महिलाओं के खिलाफ हिंसा की महामारी

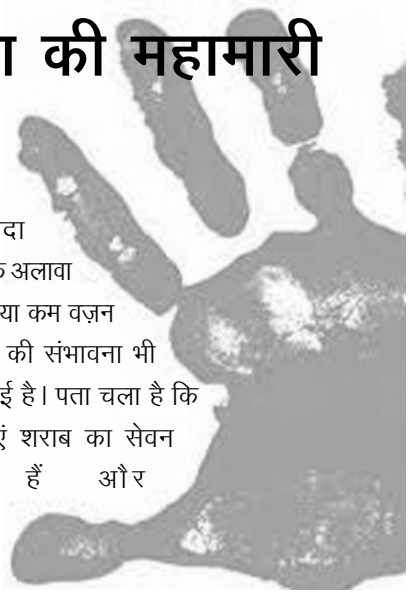

दुनिया भर में दस में से तीन महिलाएं अपने वर्तमान या पूर्व साथी के हाथों हिंसा की शिकार होती हैं। और दस में से एक महिला अपने साथी के अलावा किसी अन्य की यौन हिंसा का शिकार होती है। ये आंकड़े हाल ही में *लैंसेट* व *साइन्स* में प्रकाशित शोध पत्रों में सामने आए हैं।

लैंसेट व *साइन्स* में प्रकाशित पर्चों में क्रमशः इस बात का आकलन किया गया है कि कितने व्यक्तियों की हत्या उनके साथियों द्वारा की जाती है और कितनी महिलाएं अपने साथियों की हिंसा की शिकार होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आकलन का यह अपनी तरह का पहला व्यवस्थित प्रयास है।

इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लंदन स्कूल ऑफ हायजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन तथा साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च कौंसिल के साथ मिलकर इस बात का आकलन किया है कि कितनी महिलाओं को अपने साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यौन हिंसा झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही इन संस्थाओं ने यह भी समझने का प्रयास किया है कि इस तरह की हिंसा का महिलाओं पर क्या असर होता है और उनकी मदद कैसे की जाए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिज़ीशियन क्लॉडिया गार्सिया-मोरेनो का मानना है कि ये आंकड़े एक चेतावनी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन महिलाओं ने हिंसा का सामना किया, उनमें से 42 प्रतिशत को शारीरिक क्षति पहुंची थी। मगर हिंसा सिर्फ शारीरिक क्षति का ही नाम नहीं है। कई हिंसक साथी महिला को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने से, दवाइयां लेने से या गर्भनिरोधक का उपयोग करने से रोकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अपने साथी से हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं में एचआईवी संक्रमण या यौन-वाहित रोगों की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा उनमें गर्भपात या कम वज़न के बच्चे होने की संभावना भी ज़्यादा पाई गई है। पता चला है कि ऐसी महिलाएं शराब का सेवन करने लगती हैं और अवसादग्रस्त रहती हैं। इसके अलावा, बढ़ा हुआ तनाव महिलाओं में लंबे समय के दर्द, मधुमेह, हृदय रोग और पेट सम्बंधी रोगों का भी कारण बन सकता है।

अटलांटा स्थित एमरी विश्वविद्यालय में सामाजिक रोग-प्रसार वैज्ञानिक क्रिस्टीन डंकल का मत है कि हिंसा को सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के साथ-साथ देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इस स्थिति से आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा और यदि आप हिंसा के सवाल पर कुछ नहीं करते तो आप महिला स्वास्थ्य का अधूरा चित्र देख रहे हैं।

साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च कौंसिल की रेचेल ज्यूकेस का कहना है कि 15-20 साल पहले तक सरकारें मानती थीं कि घरेलू हिंसा निजी मामला है और अपरिहार्य है, और एक ऐसी चीज़ है जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आज वैश्विक आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को निजी मामला कहना उचित नहीं होगा। वैश्विक संस्थाएं आज कह रही हैं कि यह एक सामाजिक मुद्दा है। ***(स्रोत फीचर्स)***